रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4, 1995/माघ 15, 1916
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4, 1995/MAGHA 15, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1995

आ.अ. 7.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से श्री शंकर प्रसाद के स्थान पर श्री आर.जे.एम. पिल्लई, प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिण छोटा नागपुर, रांची को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से, आगामी आदेशों तक के लिए, बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री आर.जे.एम. पिल्लई ऐसे पदभार ग्रहण करने के पूर्व बिहार सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल धारण करना बन्द कर देंगे या सौंप देंगे। किसी व्यवधान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. श्री आर.जे.एम. पिल्लई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के रूप में कार्य करते हुए बिहार सरकार के अधीन कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि उन्हें राज्य सचिवालय में निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी सरकार के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

4. यदि श्री पिल्लई को आयोग की लिखित पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा या ग्रहण कराया जाता है तो वह इस आदेश के अनुसार ऐसा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के पदभार से हटा दिए गए समझे जाएंगे और अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनके द्वारा की गई सभी या कोई भी कार्रवाई अप्राधिकृत और नास्ति मूल्य होगी तथा वे स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के भागी होंगे।

[सं. 154/बिहार/95]

आदेश से,

के.पी.जी. कुट्टी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 21st January, 1995

O.N. 7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the

1665 GI/95

Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Bihar hereby nominates Shri R. J. M. Pillai, Divisional Commissioner, South Chhotnagpur, Ranchi as Chief Electoral Officer for the State of Bihar with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Shankar Prasad.

2. Shri R. J. M. Pillai shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work, under the Government of Bihar which he may be holding before such assumption of office. No exceptions will be permitted.

3. Shri Pillai while functioning as the Chief Electoral Officer, Bihar shall not be ordered to hold any additional charge whatsoever under the Government of Bihar, except that he should be designated Secretary to the Government incharge of the Department dealing with elections under the Election Commission in the State Secretariat as decided by the State Government.

4. If Shri Pillai is entrusted with or is made to hold any additional charge of any kind whatsoever, without the prior written approval of the Commission, he shall stand removed automatically from the office of the Chief Electoral Officer, Bihar from the date of assumption of such additional charge as per this order and no separate orders will, or need to issue. All and any action taken by him thereafter in the so called discharge of his duties and functions as the Chief Electoral Officer shall be unauthorised and non-est and null and void and he shall render himself liable to disciplinary action.

[No. 154/BR/95]

By order,

K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995